

पत्र सं०-13/स्था०-02-10/2024...../

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

निबंधित

प्रेषक,

गुंजन कुमार,
अवर सचिव (प्रबंधन)।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
सिंचाई सृजन,
जल संसाधन विभाग, डिहरी।

पटना, दिनांक-

विषय:- श्री मुकेश कुमार, कनीय अभियंता, दुर्गावती बाँया तट नहर प्रमंडल, भीतरीबाँध का रूपांतरित अवकाश की स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक-3347 दिनांक 24.10.2024

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा श्री मुकेश कुमार, कनीय अभियंता, दुर्गावती बाँया तट नहर प्रमंडल, भीतरीबाँध का स्वयं की चिकित्सा में बितायी गयी अवधि दिनांक 28.08.2023 से 31.12.2023 तक (कुल-126 दिनों) के चिकित्सीय अवकाश में स्वीकृत करने की अनुशंसा विभाग से किया गया है। विदित हो कि उपलब्ध कराये गये सेवापुस्त के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है की अवकाश में प्रस्थान किये जाने से पूर्व श्री कुमार का पर्याप्त मात्रा में अर्द्धवैतनिक अवकाश संचित नहीं है।

अतः वर्णित तथ्यों के आलोक में अनुरोध है कि श्री मुकेश कुमार, कनीय अभियंता के द्वारा चिकित्सीय आधार पर बितायी गयी अवधि दिनांक 28.08.2023 से 31.12.2023 तक को किस-किस प्रकार के अवकाश के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाय, इस संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन अनुशंसा के साथ शीघ्र विभाग को उपलब्ध कराया जाय, ताकि नियमानुसार अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सके।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(गुंजन कुमार)

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक -

पटना, दिनांक -

निबंधित

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, दुर्गावती बाँया तट नहर प्रमंडल, भीतरीबाँध / श्री मुकेश कुमार, कनीय अभियंता, दुर्गावती बाँया तट नहर प्रमंडल, भीतरीबाँध को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक -

134

पटना, दिनांक - 10.01.2025

प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता, आई०टी०, जल संसाधन विभाग, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, पटना को पत्र एवं अनुलग्नक की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अवर सचिव (प्रबंधन)।